



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 09.08.2026

➤ थाना अमराहट पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए पीट-पीट कर मरणासन्न कर देने तथा इलाज के दौरान पीड़ित की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना अमराहट पर दिनांक 03.08.2026 को वादी द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 03.08.2026 सुबह 06.30 बजे वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष खेतों में शौच के लिये गयी थी तभी गाँव के किशन पुत्र वीरेन्द्र द्वारा छेड़खानी की गयी तथा शिकायत करने किशन के घर गये तो विपक्षीगण द्वारा वादी के भाई धरम सिंह पुत्र स्व० बनवारीलाल के साथ लाठी डण्डों व धारदार हथियारों से मारपीट की गयी, जिसमें धरम सिंह को गम्भीर चोटें आयी हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अमराहट पर मु०अ०सं० 35/2026 धारा 74/333/115(2)/352/110 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम 05 नफर नामजद अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। दौराने इलाज धरम सिंह उपरोक्त की दिनांक 08.08.2026 को हैलट हॉस्पिटल, कानपुर नगर में मृत्यु हो गयी। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(2) बी०एन०एस० की बढोत्तरी की गयी।

थाना अमराहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए नामित अभियुक्तगण 1. कमलेश शुक्ला पुत्र करुणाशंकर, 2. वीरेन्द्र पुत्र रूप सिंह निवासीगण ग्राम जाफरपुर थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 09.08.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. कमलेश शुक्ला पुत्र करुणाशंकर उम्र करीब 59 वर्ष, निवासी ग्राम जाफरपुर थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात,
2. वीरेन्द्र पुत्र रूप सिंह उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम जाफरपुर थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात,

अभियुक्त कमलेश शुक्ला उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 10/2001 धारा 323/324/504/325 भादवि० थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात,
2. मु०अ०सं० 33/2005 धारा 364ए/120बी भादवि० थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात,
3. मु०अ०सं० 39/2005 धारा 147/148/149/307 भादवि० थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात,
4. मु०अ०सं० 110/2010 धारा 302/34/120बी भादवि० थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात,
5. मु०अ०सं० 35/2026 धारा 103(2)/333/115(2)/352 बीएनएस० थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात,

अभियुक्त वीरेन्द्र उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 35/2026 धारा 103(2)/333/115(2)/352 बीएनएस थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात,

गिरफ्तार करने वाली थाना अमराहट पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री महेश कुमार,
2. उ०नि० श्री सोमवीर सिंह,
3. का० 1164 अर्पित गुप्ता,
4. का० 278 विनीत कुमार,